



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, शनिवार, 11 फरवरी, 2023 ई०

माघ 22, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 32/XXXVI (3)/2023/04(1)/2023

देहरादून, 11 फरवरी, 2023

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के अनुच्छेद के खण्ड (1) के अधीन मा० राज्यपाल ने “उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश, 2023” पर दिनांक 10 फरवरी, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्या: 01, वर्ष-2023 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश, 2023

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2023)

{भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित}

राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों, सरकार के अधीन संचालित स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों, निगमों तथा राज्य सरकार के अनुदान से संचालित संस्थाओं में किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा की शुचिता बाधित करने, अनुचित साधनों के प्रयोग, प्रश्नपत्रों के प्रकटन तथा परीक्षा के उपरांत की जाने वाली अनियमितताओं आदि अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण या ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों और उनके सशक्त या आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए,

अध्यादेश

चूँकि उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

संक्षिप्त विस्तार प्रारम्भ	नाम, और	1. (1)	इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश, 2023 है।
		(2)	इस का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।
		(3)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
परिभाषायें	2. (1)	(1)	जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अध्यादेश में:-
		(क)	"सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
		(ख)	"परीक्षा प्राधिकारी" से अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अभिप्रेत है;
	(ग)	"प्रतियोगी परीक्षा का संचालन" से प्रश्नपत्रों, उत्तरपत्रकों, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट), परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण पर्यवेक्षण, कोडिंग प्रक्रिया, भण्डारण, परिवहन, वितरण/संग्रहण परीक्षा उपरांत परीक्षा केन्द्रों पर ऑफलाइन(पेपर पेन) तथा ऑनलाइन (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा) परीक्षा संचालन, मूल्यांकन, परिणाम घोषणा तथा ऐसे ही अन्य कार्य आदि अभिप्रेत है;	

- (घ) "प्रतियोगी परीक्षा" से राज्य सरकार के अधीन किसी कार्यालय, प्रतियोगी संस्था, निकाय, बोर्ड, निगम या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था के किसी भी पद पर चयन के लिए संचालित होने वाली अनुसूची-2 में दी गई परीक्षाओं से अभिप्रेत है;
- (ङ.) "परीक्षा केन्द्र" से किसी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत और प्रयुक्त कोई विद्यालय, कम्प्यूटर केन्द्र, संस्था या उसका भाग या कोई अन्य स्थान तथा सम्पूर्ण परिसर अभिप्रेत है;
- (च) "परीक्षार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया गया हो या अन्यथा अनुमति दी गयी हो और इसमें उसके निमित्त श्रुतिलेखक या सहायक के रूप में अधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है;
- (छ) "अनुचित साधन"में :-
- (1) किसी परीक्षार्थी के संबंध में:-
प्रतियोगी परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप में किसी लिखित, अलिखित, उद्धरित, प्रतिलिपि, मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) से प्राप्त सामग्री या कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता, अन्य अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट इत्यादि का उपयोग करना सम्मिलित है;
- (2) किसी व्यक्ति के संबंध में:-
- (एक) प्रश्नपत्र के प्रतिरूपण या प्रकटन या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षडयंत्र करना।
- (दो) प्रश्नपत्र को अप्राधिकृत रीति से प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में लेना या कब्जे में लेने का प्रयास करना।
- (तीन) अप्राधिकृत रीति से प्रश्नपत्र हल करना या हल करने का प्रयास करना या प्रश्नपत्र हल करने में सहायता मांगना।
- (चार) प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थी की अप्राधिकृत रीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना।
- (पाँच) ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रश्नपत्र का विवरण (डाटा) या प्रश्नों को अप्राधिकृत व्यक्ति को देने या हल करने हेतु निर्धारित कम्प्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क या सर्वर आदि से छेड़छाड़ करना और इसके लिए सहायता करना।

- (छः) परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ0एम0आर0) शीट या प्राप्तांकों में किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ कर प्रवीणता को प्रभावित करना सम्मिलित है।
- (सात) परीक्षा कक्ष में या बाह्य कार्य में तैनात पर्यवेक्षीय कर्मचारियों को उनके या उनके किसी मित्र को या किसी रिश्तेदार को चोट पहुँचाने की चाहे मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों या दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा धमकी देना; यह अन्यथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों या परीक्षा हॉल में या बाहर तैनात किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहमति दिखाने के लिए प्रेषित करना।
- (आठ) उत्तर पुस्तिका में अपशब्द, अश्लील एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करना।
- (नौ) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अनुचित साधनों में लिप्त है और धोखाधड़ी में पकड़ा गया है, लेकिन उक्त स्थिति के पश्चात् यदि लिप्त व्यक्तियों ने न्यायालय में आपसी सहमति से मामले को समाप्त करने का प्रयास किया तो परीक्षा प्राधिकरण की सहमति के बिना ऐसा नहीं किया जाएगा।
- (दस) किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्नपत्र की चोरी, जबरन वसूली या डकैती या परीक्षा प्राधिकरण के निर्धारित नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार से उत्तर पुस्तिका और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ0एम0आर0) शीट को हटाना या नष्ट करना।
- (इ) "सेवाप्रदाता" से ऐसी कम्पनियाँ, संस्थान व संगठन अभिप्रेत है, जो परीक्षा संबंधी कार्यों के संपादन के लिये, आयोग द्वारा, सेवा दिये जाने हेतु आबद्ध सेवाप्रदाता हैं, इसमें उनके प्रबंध तंत्र तथा ऐसे सभी कर्मचारी सम्मिलित हैं, जो परीक्षा प्राधिकारी की संबंधित परीक्षा के लिये लगाये गये हों;
- (ज) "कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित कम्पनी अभिप्रेत है;
- (त) "सीमित दायित्व भागीदारी" से राज्य के ऐसे सभी कर्मचारी व अधिकारी तथा परीक्षा केन्द्रों तथा उनके कर्मचारीवृन्द, तथा आयोग कार्मिकों की परीक्षा में भागीदारी अभिप्रेत है, जो किसी परीक्षा में सीमित दायित्वों का निर्वहन करने हेतु तैनात हैं या सहबद्ध है अथवा लगाये गये हैं;
- (थ) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है।
- (द) "पर्यवेक्षीय कर्मचारीवर्ग" से किसी भी विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के पर्यवेक्षण और संचालन के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसमें ऐसे अन्य व्यक्ति भी शामिल होंगे जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के संचालन से जुड़े कर्तव्यों और कृत्यों के निष्पादन के लिए नियुक्त किया गया हो;

- (ध) "कोचिंग संस्थान" से राज्य सरकार के किसी परीक्षा प्राधिकरण (जैसा कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है) द्वारा आयोजित लिखित या मौखिक परीक्षा के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व कोचिंग प्रदान करने वाला संस्थान अभिप्रेत है;
- (न) "अपर पुलिस अधीक्षक" से पुलिस जिला का प्रभारी पुलिस अधिकारी एवं इसके समकक्ष पद के पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है;
- (प) "विशेष न्यायालय" से अध्यादेश की धारा 25 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय अभिप्रेत है;
- (2) शब्द और पद जो इसमें परिभाषित नहीं किये गए किंतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45) में परिभाषित हैं का वही अर्थ होगा, जो क्रमशः उस संहिता में समनुदेशित किये गये हैं।
- पर्यवेक्षीय कर्मचारियों के कृत्य 3. (क) विधि या नियमों के अधीन निर्दिष्ट कृत्यों का निष्पादन करने के लिए बाध्य होगा।
- (ख) किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधन में सहयोग की अनुमति नहीं होगी या उससे मिलीभगत और बढ़ावा नहीं देगा।
- (ग) निरीक्षण दल के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र में या उसके आस-पास प्रवेश करने या इधर-उधर घूमने की अनुमति नहीं देगा।
- अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिबंध 4. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।
- प्रश्नपत्र या उसके एक भाग का कब्जा या प्रकटीकरण 5. प्रतियोगी परीक्षा के संचालन के लिए प्रश्नपत्रों को तैयार करने, प्रश्नपत्रों को मुद्रित करने, प्रश्नपत्रों को डिजिटल रूप से भेजने, मुद्रित प्रश्नपत्रों के परिवहन करने, प्रश्नपत्रों को परीक्षा के पूर्व व परीक्षा के दौरान रखे जाने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत कोई व्यक्ति नियत समय से पूर्व निम्नलिखित कृत्य नहीं करेगा:-
- (क) ऐसे प्रश्नपत्रों या उसके भाग या उसकी प्रति या पैकिंग को खोलना, प्रकट करना, प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना, कब्जे में लेना या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रीति से तैयार प्रश्न पत्रों या प्रश्नों या प्रश्नों के विवरण (डाटा) को प्राप्त करना, प्रश्नपत्र का विवरण (डाटा) प्राप्त करने के लिए पासवर्ड लेना आदि तथा उन्हें हल करना; या
- (ख) किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई गोपनीय सूचना, जहाँ ऐसी गोपनीय सूचना ऐसे प्रश्नपत्र से संबंधित है या उसके

			संबंध में है, देना या ऐसी गोपनीय सूचना देने का प्रयास करना या वचन देना;
		(ग)	ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रश्नपत्र का विवरण (डाटा) किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा या ऐसा करने के लिए किसी कम्प्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क या सर्वर से छेड़-छाड़ नहीं करेगा।
परीक्षा कार्य में तैनात या लगे हुये व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम	6.		कोई भी व्यक्ति जो, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित किसी भी कार्य में तैनात या लगा है, सिवाय उस दशा के जहां वह ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अधिकृत हो, ऐसी सूचना या उसका भाग, जो उसे इस प्रकार तैनाती के आधार पर जानकारी में आया है, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा या प्रकट नहीं करवायेगा या नहीं बतायेगा। यदि ऐसी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित है तो उसका पासवर्ड या कोई भी विवरण (डाटा) प्रकटन नहीं करेगा।
प्रश्नपत्र, उत्तरपत्रक, ओ0एम0आर0 शीट का किसी भी रूप में अप्राधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण	7.		कोई भी व्यक्ति, जो प्रश्नपत्रों के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व ऐसा करने के लिए विधि पूर्वक प्राधिकृत नहीं है या जिसे अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त नहीं है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में:-
		(क)	ऐसा प्रश्नपत्र या उत्तरपत्रक या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) या उसका कोई भाग या प्रतिलिपि किसी भी रूप में प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा या कब्जे में नहीं लेगा; या
		(ख)	ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसके, ऐसे प्रश्नपत्र से संबद्ध/हितबद्ध होने या प्राप्त या संबंधित होने के बारे में वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है।
परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का प्रतिषेध	8.		कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य में तैनात नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगाया गया है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।
परीक्षा केन्द्र में अनुचित साधनों/ उपकरणों के ले जाने का प्रतिषेध	9.		कोई भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैल्कुलेटर, पेजर, चिप, कम्प्यूटर को प्रभावित करने का कोई उपकरण) इत्यादि उपकरण ले

- जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा।
- परीक्षा केन्द्र से भिन्न कोई स्थान प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जायेगा
10. कोई भी व्यक्ति जिसे प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य सौंपा गया है या जो उसमें लगा हुआ है, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराने के प्रयोजन के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी स्थान का उपयोग नहीं करेगा और न ही करवायेगा।
- प्रबंधतंत्र, संस्था या अन्य द्वारा अपराध
11. (1) जब कभी प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या परीक्षा के लिए अनुबंधित या आदेशित सेवाप्रदाता व अन्य द्वारा इस अध्यादेश के अधीन कोई अपराध कारित किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित किये जाने के समय, प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या परीक्षा के लिए अनुबंधित या आदेशित सेवाप्रदाता व अन्य के कारबार का प्रभारी था, या प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के कारबार के संचालन के प्रति उत्तरदायी था, साथ ही साथ प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या परीक्षा के लिए अनुबंधित या आदेशित सेवाप्रदाता व अन्य भी अपराध के दोषी समझे जाएंगे और स्वयं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का दायी होगा तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा।
- परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को इस अध्यादेश में किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था और यह कि उसने उस अपराध को कारित होने से रोकने के लिए सम्यक् सतर्कता एवं तत्परता बरती थी।
- (2) परीक्षाओं एवं परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नपत्रों एवं उत्तर कुंजियों के संबंध में झूठी, भ्रामक एवं मिथ्या सूचना एवं शिकायतों को प्रसारित एवं प्रकाशित करने वाले प्रबंधतंत्र, संस्था व व्यक्ति अपराध का दोषी समझा जाएगा और स्वयं के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का दायी होगा तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा।
- (3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य द्वारा कारित किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि अपराध प्रबंधतंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या सेवाप्रदाता या अन्य के किसी निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता या उनकी किसी उपेक्षा के फलस्वरूप कारित किया गया है तो ऐसा निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी अपराध का दोषी समझा जाएगा और स्वयं के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का दायी होगा तथा तदनुसार दण्डित

किया जाएगा।

- (4) जहाँ इस अध्यादेश के अधीन कोई अपराध किसी प्रतियोगी परीक्षा के संचालन में लगी कम्पनी द्वारा किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कम्पनी का प्रभारी था और कम्पनी के व्यवसाय के संचालन के लिए भी जिम्मेदार था कम्पनी के रूप में, अपराध का दोषी समझा जाएगा और स्वयं के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का दायी होगा तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:— इस धारा के प्रयोजन के लिए "कम्पनी" से कोई भी/निगमित (कॉर्पोरेट) और इसमें एक फर्म या व्यक्ति का अन्य संघ अभिप्रेत है।

अपराध के लिए दण्ड 12. (1)

यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी (ऑनलाईन और ऑफलाईन) परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए, धारा 2(छ)(1) के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी, दण्डनीय होगा और ऐसे जुर्माने से, जो पाँच लाख रूपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने का संदाय (भुगतान) करने में व्यतिक्रम करने पर ऐसा परीक्षार्थी कारावास से, जिसकी अवधि नौ माह की होगी, दण्डनीय होगा।

परन्तु यदि वह परीक्षार्थी पुनः (दूसरी बार) किसी अन्य प्रतियोगी (ऑनलाईन और ऑफलाईन) परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए, धारा 2(छ)(1) के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डनीय होगा और ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रूपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने का संदाय (भुगतान) करने में व्यतिक्रम करने पर ऐसा परीक्षार्थी कारावास से, जिसकी अवधि तीस माह की होगी, दण्डनीय होगा।

- (2) यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संचालन हेतु अनुबंधित या आदेशित सेवाप्रदाता, परीक्षा कराने का प्रबंधतंत्र, परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखने या परिवहन हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति या संस्था, परीक्षा प्राधिकारी का कोई कार्मिक, सीमित दायित्व भागीदारी, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य कोई संस्था षड्यंत्र में या अन्यथा धारा 2(छ)(2) में यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त है या लिप्त होने का प्रयत्न करता है या इस अध्यादेश के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक करोड़

रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस करोड़ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के संदाय (भुगतान) में व्यतिक्रम करने पर ऐसा व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी, दण्डनीय होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध में परीक्षा प्राधिकरण के साथ षडयंत्र करता है या अन्यथा अनुचित साधनों में लिप्त होता है या इस अध्यादेश के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है, वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक करोड़ रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस करोड़ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के संदाय (भुगतान) में व्यतिक्रम करने पर ऐसा व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी, दण्डनीय होगा।

(4) जो कोई भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्नपत्रों की या उत्तरपत्रों या ऑप्टिकल मार्क रिकॉगनिशन (ओ0एम0आर0) शीट की, ऐसे प्रश्नपत्र की परीक्षा समाप्त होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी भी समय चोरी, उद्घापन, लूट या किसी भी प्रकार से अनधिकृत रूप से नष्ट करता है, वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं0 45) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष के कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष के कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास लाख से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक करोड़ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के संदाय (भुगतान) में व्यतिक्रम करने पर ऐसा व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी, दण्डनीय होगा।

सिद्धि पर 13. (1)
न

कोई परीक्षार्थी जिसे इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है तो ऐसे अभियोजन पर परीक्षार्थी को, आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पाँच वर्ष तथा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर दस वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने से विवर्जित किया जाएगा।

परन्तु यदि परीक्षार्थी जिसे इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः अभियोजित किया जाता है तो ऐसे अभियोजन पर परीक्षार्थी को आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से पाँच से दस वर्ष तथा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर आजीवन कालावधि के लिए परीक्षा प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी

तलाशी और
अभिग्रहण

- परीक्षाओं में प्रतिभाग करने से विवर्जित किया जाएगा।
- (2) विवर्जन हेतु अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अधिकृत होंगे।
14. (1) जहाँ जिला मजिस्ट्रेट के पास, अपने कब्जे में की जानकारी के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए कारण लेखबद्ध किये जाएंगे) कि किसी व्यक्ति ने,
- (क) ऐसा कोई कार्य किया है जो अनुचित साधन है, या
- (ख) अनुचित साधन में अंतर्ग्रस्त के किसी आगम को कब्जे में रखा है, या
- (ग) अनुचित साधन से संबंधित कोई अभिलेख कब्जे में रखा है, या
- (घ) अपराध से संबंधित किसी सम्पत्ति को कब्जे में रखा है, तो वह इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन किसी अधिकारी को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकेगा—
- (एक) किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में, जहाँ उसके पास यह संदेह करने के कारण हैं कि ऐसे अभिलेख या अपराध के आगम रखे गए हैं, प्रवेश करना और तलाशी लेना;
- (दो) किसी दरवाजे, बाक्स, लाकर, सेफ, अलमारी या अन्य आधान का, खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जहाँ उनकी चाबियाँ उपलब्ध नहीं हैं, ताला तोड़कर खोलना;
- (तीन) ऐसी तलाशी के परिणाम स्वरूप पाए गए किसी अभिलेख या सम्पत्ति को अभिगृहीत करना;
- (चार) ऐसे अभिलेख या सम्पत्ति पर, यदि अपेक्षित हो, पर पहचान के चिह्न लगाया या उससे उद्धरण या प्रतियाँ लेना या तैयार करना या करवाना;
- (पाँच) ऐसे अभिलेख या सम्पत्ति का टिप्पण या तालिका तैयार करना;
- (छः) ऐसे किसी व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा करना जिसके कब्जे में या नियंत्रण में ऐसा अभिलेख या सम्पत्ति पाई जाती है जो इस अध्यादेश के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत सभी मामलों से संबंधित है।
- (2) वह प्राधिकारी, जिसे उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया है, तलाशी और अभिग्रहण के ठीक पश्चात् इस प्रकार अभिलिखित किए गए कारणों की एक प्रति, उस उपधारा में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री के साथ ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सील बन्द लिफाफे में, विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा और ऐसा विशेष न्यायालय ऐसे कारण और सामग्री ऐसी अवधि तक रखेगा, जैसा विहित किया जाए।

- (3) जहां किसी प्राधिकारी का, अभिप्राप्त जानकारी पर समाधान हो जाता है कि कोई साक्ष्य छिपाया या बिगाड़ा जाएगा; या उसके छिपाए या बिगाड़े जाने की सम्भावना है, वहां वह ऐसे कारणों में, जो अभिलिखित किया जाएगा, उस भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा जहां ऐसा साक्ष्य अवस्थित है और उस साक्ष्य को अभिगृहीत कर सकेगा:
- परन्तु उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई प्राधिकार, इस उपधारा के अधीन तलाशी के लिए अपेक्षित नहीं होगा।
- गिरफ्तार करने की शक्ति 15. (1) यदि इस अध्यादेश के अधीन प्राधिकृत पुलिस अधिकारी, के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर या विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए कारण लेखबद्ध किये जाएंगे) कि कोई व्यक्ति इस अध्यादेश के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और यथासंभव शीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा।
- (2) यदि इस अध्यादेश के अधीन प्राधिकृत पुलिस अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति के गिरफ्तार किए जाने के ठीक पश्चात् आदेश की एक प्रति, उपधारा में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री के साथ ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सीलबंद लिफाफे में ऐसे विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा और ऐसा विशेष न्यायालय ऐसे आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि तक रखेगा जो विहित की जाए।
- संपत्ति की कुर्की और अधिहरण 16. (1) कोई भी व्यक्ति इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध के किन्हीं आगमों को धारित नहीं करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा।
- (2) यदि, जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में स्थित कोई सम्पत्ति, चाहे वो जंगम हो या स्थावर, किसी व्यक्ति के द्वारा इस अध्यादेश के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणाम स्वरूप अर्जित की गयी है तो वह ऐसी सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है, चाहे किसी विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध का संज्ञान किया गया हो या नहीं।
- (3) प्रत्येक ऐसी कुर्की पर संहिता के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।
- (4) संहिता के उपबन्धों के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (2) के अधीन कुर्क की गयी किसी सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासक को ऐसी सम्पत्ति के सर्वोत्तम हित में उसका प्रबन्ध करने की सभी शक्तियाँ होंगी।
- (5) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति के उचित और प्रभावी प्रबन्ध के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता की व्यवस्था कर सकता है।

स्पष्टीकरण:— इस धारा के प्रयोजन के लिए “इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध के आगम” से समस्त प्रकार की ऐसी संपत्तियां अभिप्रेत हैं, जो इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध को कारित करने से व्युत्पन्न हुई हों या अभिप्राप्त की गई हों या इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हों और इसमें नकदी भी सम्मिलित होगी, बिना उस व्यक्ति का विचार किये जिसके नाम से ऐसे आगम हैं या जिसके कब्जे में वे पाये जाते हैं।

सम्पत्ति को
निर्मुक्त करना

17. (1)

जहाँ कोई सम्पत्ति धारा 16 के अधीन कुर्क की जाए, वहाँ उसका दावेदार, ऐसी कुर्की की जानकारी के दिनांक से तीन मास के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अपने द्वारा उस सम्पत्ति के अर्जन की परिस्थितियों और स्रोतों को दर्शाते हुए अभ्यावेदन कर सकता है।

(2)

यदि उपधारा (1) के अधीन किये गये दावे की वास्तविकता के बारे में जिला मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए तो वह कुर्क की गयी सम्पत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर देगा और तदोपरान्त ऐसे सम्पत्ति दावेदार को सौंप दी जाएगी।

न्यायालय द्वारा
सम्पत्ति के
अर्जन के
स्वरूप के बारे
में जाँच

18. (1)

जहाँ धारा 17 की उपधारा (1) विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन न दिया जाय या जिला मजिस्ट्रेट धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन सम्पत्ति को निर्मुक्त नहीं करता है, वहाँ वह मामले को अपनी आख्या (रिपोर्ट) के साथ इस अध्यादेश के अधीन अपराध का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा।

(2)

जहाँ जिलामजिस्ट्रेट ने किसी सम्पत्ति को धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन कुर्क करने से इन्कार किया है या किसी सम्पत्ति को धारा 17 की उप धारा (2) के अधीन निर्मुक्त करने का आदेश दिया है, वहाँ राज्य सरकार या कोई व्यक्ति जो इस प्रकार इन्कार करने या निर्मुक्त करने से व्यथित हो, यह जाँच करने के लिए कि क्या सम्पत्ति इस अध्यादेश के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणाम स्वरूप अर्जित की गई थी, उप धारा (1) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को अवेदन पत्र दे सकता है। विशेष न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, ऐसी सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है।

(3)

उपधारा (1) के अधीन निर्देश या उपधारा (2) के अधीन आवेदन पत्र की प्राप्ति पर विशेष न्यायालय जाँच के लिए कोई दिनांक नियत करेगा और उसकी नोटिस उपधारा (2) के अधीन आवेदन पत्र देने वाले व्यक्ति या, यथारिथति, धारा 17 के अधीन अभ्यावेदन देने वाले व्यक्ति और राज्य सरकार और किसी अन्य व्यक्ति को भी जिसका हित मामले में अन्तर्ग्रस्त प्रतीत हो, देगा।

- (4) इस प्रकार नियत दिनांक को या किसी पश्चातवर्ती दिनांक को जब तक के लिए जाँच आस्थगित की जाय, विशेष न्यायालय पक्षकारों की सुनवाई करेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ग्रहण करेगा, ऐसे और साक्ष्य लेगा जिसे वह आवश्यक समझे, यह विनिश्चय करेगा कि क्या सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा इस अध्यादेश के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणाम स्वरूप अर्जित की गयी थी और धारा 19 के अधीन ऐसा आदेश देगा जैसे मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत और आवश्यक हो।
- (5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में यह साबित करने का भार कि प्रश्नगत सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा इस अध्यादेश के विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणाम स्वरूप अर्जित नहीं किया गया था, सम्पत्ति पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा।
- जाँच के पश्चात् आदेश 19. (1) यदि ऐसी जाँच पर विशेष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा इस अध्यादेश के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणाम स्वरूप अर्जित नहीं की गई थी तो वह उस सम्पत्ति को ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त करने का आदेश देगा जिसके कब्जे से वह कुर्क की गयी थी।
- (2) जहाँ अभियुक्त इस अध्यादेश के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है, तो विशेष न्यायालय किसी दण्ड के निर्णय के अतिरिक्त, लिखित में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकता है कि आदेश में विनिर्दिष्ट और अभियुक्त से संबंधित अधिभारों से मुक्त कोई भी जंगम या स्थावर या दोनों सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित समझी जाएगी।
- अपील 20. संहिता के अध्याय 29 के उपबन्ध इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन पारित विशेष न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील पर यथाआवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।
- समस्त लागत और व्यय का संदाय करने का प्रबंधतंत्र इत्यादि का दायित्व 21. यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संचालन हेतु अनुबंधित या आदेशित सेवाप्रदाता, परीक्षा कराने का प्रबंधतंत्र, परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखने या परिवहन हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति या संस्था, परीक्षा प्राधिकारी का कोई कार्मिक, सीमित दायित्व भागीदारी, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य कोई संस्था इस अध्यादेश की धारा 12 की उपधारा (2), (3) एवं (4) के अधीन अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह, विशेष न्यायालय द्वारा अवधारित, परीक्षा से संबंधित समस्त लागत और व्यय का संदाय करने के दायी होगा और उन्हें इससे सदैव के लिए प्रतिबंधित किया जायेगा।

- अपराधों का 22. विशेष न्यायालय इस अध्यादेश के अधीन अपराध गठित संज्ञेय, करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट या इस अध्यादेश के गैरजमानतीय अधीन इस निमित्त प्राधिकृत पक्ष द्वारा की गई किसी और अशमनीय शिकायत पर उस अपराध का संज्ञान ले सकता है जिसके होना लिए अभियुक्त ने परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया है।
- (क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्यादेश के अधीन विनिर्दिष्ट समस्त अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होंगे।
- (ख) इस अध्यादेश के अधीन दस वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त को जमानत पर तब तक नहीं निर्मुक्त नहीं किया जाएगा:
- (i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने के लिए अवसर दे दिया गया है, और
- (ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए समुचित आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत के दौरान कोई अपराध किये जाने की सम्भावना नहीं है:
- परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति यदि परीक्षार्थी है या महिला है या रूग्ण है या अशक्त है तो उसे जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निदेश दे।
- किसी जांच या 23. (1) इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए— अनुमोदन का आवश्यक न होना
- (क) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी; या
- (ख) किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी, यदि आवश्यक हो, से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी,
- जिसके विरुद्ध इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अध्यादेश या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी।
- (2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी, संहिता की धारा 438 के उपबन्ध इस अध्यादेश के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे।
- अपराधों का 24. अपर पुलिस अधीक्षक (जिन जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक अन्वेषण तैनात न हो वहाँ पुलिस अधीक्षक) के पद से अन्यून कोई

			भी पुलिस अधिकारी इस अध्यादेश के अधिकारिता क्षेत्र में किसी भी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा।
विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामले	25.		संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्यादेश के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण, इस अध्यादेश के अधीन विशेष न्यायालयों द्वारा ही किया जाएगा।
विशेष न्यायालयों को नियुक्त करने की शक्ति	26.		राज्य सरकार, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अध्यादेश के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, उतने सत्र (सेशन) न्यायालयों को विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करेगी।
लोक सेवक	27.		प्रतियोगी परीक्षा के संचालन में लगे प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45) के खण्ड 21 के अधीन लोक सेवक माना जाएगा।
अध्यादेश का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना	28.		इस अध्यादेश के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।
कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति	29.	(1)	यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
			परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अध्यादेश के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
		(2)	इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानसभा के पटलपर रखा जाएगा।
नियम बनाने की शक्ति	30.	(1)	राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
		(2)	इस धारा के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानसभा के पटल पर, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।
निर्देश या आदेश जारी करने शक्ति	31.		राज्य सरकार इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए समय-समय पर लिखित में निर्देश या आदेश जारी कर सकेगी।
अनुसूची का संशोधन करने	32.		राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी अन्य परीक्षा और प्राधिकारी को जिसके संबंध में वह इस अध्यादेश के

की शक्ति

उपबन्धों को लागू करना आवश्यक समझती है, अनुसूची 1 और 2 में सम्मिलित या बाहर कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन पर अनुसूची 1 और 2 तदनुसार संशोधित समझी जाएगी।

सद्भावना से 33.
की गयी
कार्यवाही का
संरक्षण

राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए जो इस अध्यादेश या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

अनुसूची-1
(धारा-2, (ख) देखें)

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग।

उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतियोगी परीक्षा आयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अन्य संस्थान।

अनुसूची-2
(धारा-2, (घ देखें))

(1) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर परीक्षा आयोजन हेतु प्राधिकृत अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाएँ।

लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह
पी०वी०एस०एम०, यू०वाई०एस०एम०
ए०वी०एस०एम०, वी०एस०एम० (से०नि०)
राज्यपाल उत्तराखण्ड

आज्ञा से,
महेश चन्द्र कौशिवा,
अपर सचिव।

No. 32/XXXVI(3)/2023/04(1)/2023
Dated Dehradun, February 11, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of "The Uttarakhand Competitive Examination (Measures For Control And Prevention Of Unfair Means In Recruitment) Ordinances, 2023" (Uttarakhand Ordinance No 01 Of 2023).

As promulgated by the Governor on 10th February, 2023.

**The Uttarakhand Competitive Examination (Measures For Control and
Prevention of Unfair Means in Recruitment) Ordinance, 2023**
(Uttarakhand Ordinance No. 01 2023)

{Promulgated by the Governor in the Seventy-fourth Year of the Republic of India}

An

Ordinance

To control and prevent of offences and the Special Court for the trial of such offences which are related to obstruct the sanctity of the examination, use of unfair means, leakage of question papers and the irregularities committed after the examination of public examination for the purpose of recruitment on any post at the office under the State Government, autonomous bodies run by Government, authorities, corporation and institutions operated with grants of State Government and to make provisions for matter connected therewith strengthened or incidental thereto;

Whereas the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

- | | |
|---|---|
| Short title, extent and commencement | 1. (1) This Ordinance may be called the Uttarakhand Competitive Examination (Measures for Control and Prevention of Unfair Means in Recruitment) Ordinance, 2023. |
| | (2) It shall extend to the whole State of Uttarakhand. |
| | (3) It shall be come into force at once. |
| Definitions | 2. (1) In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context:- |
| | (a) "Government" means the Government of the State of Uttarakhand; |
| | (b) "Examination Authority" means the Examination Authority as specified in Schedule 1; |
| | (c) "Conduct of Competitive Examination" means preparation of question papers, answersheets, Optical Mark Recognition (OMR) sheets, result |

- sheets, printing supervision, coding process, storage, transportation, distribution/collection, post examination at examination centers offline (paper pen) and online (computer-based examination) conduct of examination, evaluation, declaration of result and such other works etc;
- (d) **“Competitive examination”** means the examinations as specified in Schedule-2 conducted for selection to any post in any department of State Government, competitive institution, body, board, corporation or institution aided by the State Government;
- (e) **“Examination Centre”** means any school, computer centre, institution or part thereof or any other place and the entire premises designated and used for conducting any competitive examination;
- (f) **“Examinee”** means a person who has been issued an admit card or otherwise permitted by the concerned authority to appear in the selection test and also includes a person authorized to act as a scribe or assistant on his behalf;
- (g) **“Unfair Means”** includes –
- (1) **In respect of an examinee:** -
Directly or indirectly from any person or group in competitive examination or any written, non-written, quoted, copied, printed material, material obtained from electronic or Information Technology (IT) or taking any unfair aid, other unauthorized aid or using any unauthorized electronic or mechanical device or gadget etc. in the computer-based examination;
- (2) **In respect of a person:** -
- (i) Impersonation or leakage or attempt to leakage or conspiracy to leakage of question paper.
- (ii) Unauthorized access or attempt to get or take possession or attempt to take possession to question paper.
- (iii) Solving question papers in an unauthorized manner or attempt to solve or seeking assistance in solving the question paper.
- (iv) Directly or indirectly assist the examinee in an unauthorized manner in the competitive examination.

- (v) Supply of question paper data or questions in online examinations to any unauthorized person or tampering with computer intended to be solve, local area network or server etc. and assist therewith.
- (vi) Affecting merit by tampering with answer sheets or Optical Mark Recognition (OMR) sheets or marks by any means after the examination.
- (vii) Threatens the supervisory staff on duty in or outside the examination hall with any injury to his person or friends or to any of his relations; whether by words either spoken or written or by signs or visible representations or otherwise with a view to inducing the supervisory staff or any person on duty in or outside the examination hall to show any concession;
- (viii) uses abusive or obscene or indecent language in the answer book;
- (ix) If any person and the group of persons involved in the practice of unfair means and caught in cheating but after the said situation if the indulged persons try to end the matter in Court with mutual consent shall not be made without consent of the examination authority.
- (x) Committing theft, extortion or robbery of question paper or to remove or destroy by any means the answersheet and Optical Mark Recognition (OMR) sheets of any competitive examination against the prescribed rules of Examination Authority.
- (h) **“Service Provider”** means such companies, institutions and organizations, which are service providers bound by the Examination Authority for the conduct of competitive examination related work, it includes their management system and all such employees, who are involved in the competitive examination related work of the Examination Authority;
- (i) **“Company”** means a company as defined in The Companies Act, 2013;
- (j) **“Limited Liability Participation”** means participation in the examination of all such employees and officers of the State and

examination centers and their staff, and commission personnel, who are posted or associated or engaged to discharge limited liability in any examination;

- (k) “Code” means the Code of Criminal Procedure, 1973;
- (l) “Supervisory staff” means any person appointed by the competent authority under any law for the supervision and conduct of an examination and includes such other persons as are appointed by the competent authority to perform the duties and functions connected with the conduct of an examination;
- (m) “Coaching Centre” means an institution imparting pre-examination coaching for securing Government job through written or oral examination conducted by any examination authority (as specified in Schedule-1) of the Government;
- (n) “Additional Superintendent of Police” means the police officer in charge of a Police District and shall include police officers of equivalent rank;
- (o) “Special Court” means a court of session designated as special court under Section 22 of the Ordinance;
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) shall have the same meanings respectively assigned to them in those Codes.

Duties of 3.
supervisory
staff

The supervisory staff shall-

- (a) be bound responsible to act and to perform their duties in accordance with and as required by or under the statutes or the regulations, as the case may be;
- (b) not to allow, connive at or facilitate the commission of any unfair means by any candidate;
- (c) not to allow any person other than the members of the inspection team, to enter or loiter in or around

- the examination center.
- Prohibition of use of unfair means** 4. No person shall use unfair means in any competitive examination
- Possession or leakage of question paper or part thereof** 5. For conduct of competitive examination preparation of question papers, printing of question papers, digitally sending of question papers, transportation of printed question papers, keeping of question papers before and during the examination any person authorized by virtue of his duties shall not do the following before the appointed time:-
- (a) To unseal the such question papers or part or copy or packing thereof, to disclose, receive or attempt to receive, have possession of or receive question papers or questions or question data prepared in electronic or digital mode, taking password etc. to get question paper data and solving them or,
- (b) Giving or attempting to give or promise to give any confidential information to any person or examinee where such confidential information relates to or is in connection with such question papers.
- (c) Shall not disclose the data of question paper in online examinations to any unauthorized person or shall not tamper with any computer, local area network or server in order to do so.
- Prevention of disclosure by person posted or engaged in examination work** 6. Any person who is posted or engaged in any work relating to a competitive examination, except where he is authorized by virtue of his duty to do so, such information or part thereof, shall not divulge or cause to be disclosed or disclosed to any other person, directly or indirectly, what has come to his knowledge by virtue of such posting. If such information is electronically based, shall not disclose its password or any other data.
- Unauthorized possession or disclosure of question paper, answer sheet, OMR sheet in any form** 7. Any person, who is not lawfully authorized or permitted by reason of his duty to do so before the time fixed for the distribution of question papers, at any competitive examination, shall not:-

- (a) receive or attempt to receive or has possession of such question paper or answer sheet or Optical Mark Recognition (OMR) sheet or any part or copy thereof in any manner, or
- (b) give or offer to give such information which he knows or has reason to believe to be concerned/interested in or to be received or relating to such question paper.
8. Prohibition of entry into the examination center
- Any person who is not employed/posted in work related to the competitive examination or who is not engaged in the work of conducting the competitive examination, or who is not an examinee, shall not enter the premises of the examination center during the examination.
9. Prohibition of carrying unfair means / equipment in the examination center
- No examinee or examiner or any other person engaged in the examination shall use any kind of unfair means or appliances at the examination centre. Carrying any kind of electronic equipment (mobile phone, bluetoothdevice, watch, calculator, pager, chip, any device to influence computer) etc. at the examination center shall be strictly prohibited.
10. No place other than the examination center shall be used for competitive examination
- No person entrusted with or engaged in any work relating to a competitive examination shall use or cause to be used any place other than the examination center for the purpose of conducting the competitive examination.
11. Offences by management, organization, companies or others
- (1) When an offence under this Ordinance is committed by any management or institution or limited liability partnership or service provider contracted or ordered for examination and others, every person who at the time the offence was committed was in charge of the business of the management or institution or limited liability partnership or service provider contracted or ordered for the examination and others, or was responsible for the conduct of the business of the management or institution or limited liability partnership or other, as well as the service

provider contracted or ordered for the examination by the management or institution or limited liability partnership or other, shall also be deemed to be guilty of the offence and shall himself shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this subsection shall render such person liable to any punishment under this Ordinance, if he proves that the offence was committed without his knowledge and that he exercised due care and diligence to prevent the commission of the offence.

- (2) Management, institutions and individuals who circulate and publish false, misleading and false information and complaints in relation to examinations and question papers and answer keys related to examinations, shall be deemed guilty of crime and shall be liable to take action against themselves and punished accordingly.
- (3) Notwithstanding anything contained in subsection (1), where an offence under this section has been committed by any management or institution or limited liability partnership or other and it is proved that the offence was committed by the management or institution or limited liability partnership with the consent or connivance of, or any neglect on the part of, any director, partner, manager, secretary or other officer of the partnership or service provider or other, such director, partner, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.
- (4) Where an offence under this Ordinance is committed by a company engaged in the conduct of any competitive examination, every person who at the time when offence was committed was incharge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

**Punishment
for crime**

Explanation- for the purpose of this section "Company" means anybody/corporate and includes a firm or other association of the individual.

12. (1) If any examinee is caught cheating himself or causing another examinee to cheat in a competitive examination (online and offline) or to have indulged in unfair means as defined under section 2(g)(1), he shall be punishable with imprisonment of either discription for a term of three years and with fine which shall not be less than rupees five lakh shall be punishable and in default of payment of fine, such examinee shall be punishable with imprisonment for a term of nine months:

Provided that if any examinee is found again (second time) cheating himself and causing another examinee to cheat in any other competitive examination (online and offline) or to have indulged in unfair means as defined under section 2(g)(1), he shall be punishable with imprisonment of either discription for a term which shall not be less than ten years and with fine which shall not be less than rupees ten lakh shall be punishable and in default of payment of fine, such examinee shall be punishable with imprisonment for a term of thirty months.

(2) If any person, printing press, service provider contracted or ordered for examination, management for conducting examination, any person and organization authorized to keep and transport the examination material, any employee of the Examination Authority, limited liability partnership, coaching centre or any other institution has indulged in conspiracy or otherwise unfair means as defined in clause 2(g)(2) attempts to be so or contravenes or abets the contravention of any of the provisions of this Ordinance, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years but which may extend to life imprisonment and shall be punished with fine which shall not be less than rupees one crore but which may extend to rupees ten crore and in default of payment of fine, such person shall be punishable with imprisonment for a term of three

- years.
- (3) If any person in an organized crime conspire with the examination authority or otherwise indulge in unfair means or contravenes or abets to contravene any of the provisions of this Ordinance, he shall be liable to be imprisonment of either discription for a term which shall not be less than ten years and may extend up to life imprisonment and with fine which shall not be less than rupees one crore but which may extend to rupees ten crore and in default of payment of fine, such person shall be punishable with imprisonment for a term of three years.
- (4) Whoever commits theft, extortion or robbery of question papers or destroy by any unauthorized means answersheet or Optical Mark Recognition (OMR) sheets of any competitive examination, at any time, before or after the examination in such question paper is over, shall, notwithstanding anything to the contrary contained in the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) be punishable with imprisonment of either discription for a term which shall not be less than seven years but which may extend to ten years and with fine which shall not be less than rupees fifty lakh but which may extend to rupees one crore and in default of payment of fine, such person shall be punishable with imprisonment for a term of three years.
- Disbarment
on conviction**
13. (1) Any examinee who is prosecuted for any offence under the provisions of this Ordinance, such prosecuted examinee shall be debarred, from appearing in all the competitive and competitive examinations held by the Examination Authority, from the date of charge-sheet filed for a period of two to five years and on conviction for a period of ten years:
Provided that any examinee who is prosecuted for any offence under the provisions of this Ordinance again, such prosecuted examinee shall be debarred, from appearing in all the competitive and competitive examinations held by the Examination Authority, from the date of charge-sheet filed for a period of five to ten years and on conviction for a life time period.
- (2) Examination Authority as specified in Schedule 1

Search and seizure

- are authorized for Disbarment.
14. (1) Where the District Magistrate, on the basis of information in his possession, has reason to believe (the reason for such belief to be recorded in writing) that any person-
- (a) has committed any act which constitute unfair means, or
 - (b) is in possession of any proceeds of crime involved in unfair means, or
 - (c) is in possession of any record relating to unfair means, or
 - (d) is in possession of any property related to crime, then, subject to the rules made in this behalf, he may authorize any officer to-
 - (i) enter and search any building, place, vessel, vehicle, or aircraft where he has reason to suspect that such records or proceeds of crime are kept;
 - (ii) break open the lock of any door, locker, safe, almirah or other receptacle for exercising the powers conferred by clause (i) where the keys thereof are not available;
 - (iii) seize any record or property found as a result of such search;
 - (iv) place marks of identification on such record or property, if required or make or cause to be made extracts or copies therefrom;
 - (v) make a note or an inventory of such record or property;
 - (vi) examine on oath any person, who is found to be in possession or control of any record or property, in respect of all matters relevant for the purposes of any investigation under this Ordinance:
- (2) The authority, who has been authorized under sub-section (1) shall, immediately after search and seizure, forward a copy of the reasons so recorded along with material in his possession, referred to in that sub-section, to the Special Court in a sealed envelope, in the manner, as may be prescribed and such Special Court shall keep such reasons and material for such period, as may be prescribed.
- (3) Where an authority, upon information obtained is satisfied that any evidence shall be or is likely to be concealed or tampered with, he may, for reasons to be recorded in writing, enter and search the building or place where such evidence is

- located and seize that evidence:
 Provided that no authority referred to in sub-section (1) shall be required for search under this sub-section.
- Power arrest** to 15. (1) If the Police Officer authorized under this Ordinance, has on the basis of material in his possession reason to believe (the reason for such belief to be recorded in writing) that any person has been guilty of an offence punishable under this Ordinance, he may arrest such person and shall, as soon as may be, inform him of the grounds for such arrest.
- (2) The Police Officer authorized under this Ordinance, immediately after arrest of such person under sub-section (1), forward a copy of the order along with the material in his possession, referred to in that sub-section, to the Special Court in a sealed envelope, in the manner, as may be prescribed and such Special Court shall keep such order and material for such period, as may be prescribed.
- Attachment and confiscation of property** 16. (1) No person shall hold or be in possession of any proceeds of an offence under this Ordinance.
- (2) If the District Magistrate has reason to believe that the property, whether moveable or immovable, in possession of any person has been acquired by a person as a result of the commission of an offence triable under this Ordinance, he may order attachment of such property whether or not cognizance of such offence has been taken by Special Court.
- (3) The provisions of the Code shall, *mutatis mutandis* apply to every such attachment.
- (4) Notwithstanding the provisions of the Code the District Magistrate may appoint an Administrator of any property attached under sub-section (2) and the Administrator shall have all the powers to administer such property in the best interest thereof.
- (5) The District Magistrate may provide police help to the Administrator for proper and effective administration of such property.
- Explanation:** - For the purposes of this section, "proceeds of an offence under this

Ordinance" means all property derived or obtained from the commission of an offence under this Ordinance or has been acquired by means of funds relating to crime and shall also include cash, irrespective of the person in whose name such proceeds stand or in whose possession they are found.

Release of property

17. (1) Where any property is attached under Section 16, the claimant thereof may within three months from the date of knowledge of such attachment make a representation to the District Magistrate showing the circumstances in and the sources by which such property was acquired by him.
- (2) If the District Magistrate is satisfied about the genuineness of the claim made under sub-section (1) he shall forthwith release the property from attachment and thereupon such property shall be made over to the claimant.

Inquiry into the character of acquisition of property by the Court

18. (1) Where no representation is made within the period specified in sub-section (1) of Section 17 or the District Magistrate does not release the property under sub-section (2) of Section 17 he shall refer the matter with his report to the Special Court to try an offence under this Ordinance.
- (2) Where the District Magistrate has refused to attach any property under sub-section (2) of Section 16 or has ordered for release of any property under sub-section (2) of Section 17, the State Government or any person aggrieved by such refusal or release may make an application to the Special Court referred to in sub-section (1) for inquiry as to whether the property was acquired by or as a result of the commission of an offence triable under this Ordinance. Special Court may, if it considers necessary or expedient in the interest of justice so to do, order attachment of such property.
- (3) On receipt of the reference under sub-section (1) or an application under sub-section (2), the Special Court shall fix a date for inquiry and give notice thereof to the person making the application under sub-section (2) or, as the case may be, to the person making the representation under Section 17 and to the State Government, and also to any other person whose interest

- appears to be involved in the case.
- (4) On the date so fixed or any subsequent date to which the inquiry may be adjourned, the Special Court shall hear the parties, receive evidence produced by them, take such further evidence as it considers necessary, decide whether the property was acquired by the person as a result of the commission of an offence triable under this Ordinance and shall pass such order under Section 19 as may be just and necessary in the circumstances of the case.
- (5) Notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872, to the contrary, in any proceedings under this Section, the burden of proving that the property in question or any part thereof was not acquired by a person as the result of the commission of any offence triable under this Ordinance, shall be on the person claiming the property.
- Order after inquiry** 19. (1) If upon such inquiry the Special Court finds that the property was not acquired by a person as a result of the commission of any offence triable under this Ordinance it shall order for release of the property of the person from whose possession it was attached.
- (2) Where the accused is convicted of any offense punishable under this Ordinance, the Special Court may, in addition to awarding any sentence, by order in writing, declare that any movable or immovable or both property free from encumbrances belonging to the accused shall be deemed to vest in the State Government.
- Appeal** 20. The provisions of Chapter XXIX of the Code shall, *mutatis mutandis*, apply to an appeal against any judgement or order of a designated Court passed under the provisions of this Ordinance.
- Liability of management etc. to pay all costs and expenses** 21. If any person, printing press, service provider contracted or ordered for examination, management for conducting examination, any person or organization authorized to keep or transport the examination material, any employee of the Examination Authority, limited liability partnership, coaching centre or any other institutionis found guilty of an offense under sub-section (2), (3) and (4) of section 12 of this Ordinance, then as determined by the Special

- Offence to 22. Court, they shall be liable to pay costs and
cognizable, expenses and shall be barred by this forever.
non-bailable Special Court may upon perusal of police reports
and non- of the facts which constitutes an offence under
compoundable this Ordinance or upon any complaint made by a
party authorized in this behalf under this
Ordinance take cognizance of the offence for
which the accused has committed for trial.
- (a) Notwithstanding anything contained in the Code
of Criminal Procedure 1973(2 of 1974) for an
offence punishable under this Ordinance shall be
cognizable, non-bailable and non-compoundable.
- (b) No person accused of an offence punishable for
terms of imprisonment of more than ten years
shall be release on bail under this Ordinance
unless:-
- (i) The Public Prosecutor has been given an
opportunity to oppose the bail application for
such release, and
- (ii) Where the Public Prosecutor opposes the
application, the Special Court has satisfied that
there are reasonable grounds for believing that he
is not guilty of such offence and that he is not
likely to commit any offence while on bail:
- Provided that a person who is an examinee,
or woman, sick or infirm may be released on bail
if the Special Court shall direct.
- No enquiry or 23. (1) For the purposes of this Ordinance-
approval
required
- (a) preliminary enquiry shall not be required for
registration of a First Information Report against
any person; or
- (b) the investigating officer shall not require approval
for the arrest, if necessary, of any person,
against whom an accusation of having committed
an offence under this Ordinance has been made
and no procedure other than that provided under
this Ordinance or the Code shall apply.
- (2) The provisions of section 438 of the Code shall
not apply to a case under this Ordinance,
notwithstanding any judgement or order or

			direction of any Court.
Investigation of crimes	24.		No police officer below the rank of Additional Superintendent of Police (in districts where Additional Superintendent of Police is not posted, Superintendent of Police) shall investigate any offence committed under this Ordinance.
Cases considered by Special Courts	25.		Notwithstanding anything contained in the Code or any other law for the time being in force, the offences specified under this Ordinance shall be trial only by the Special Court under this Ordinance.
Power to appoint Special Courts	26.		The State Government, in consultation with the Chief Justice of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, shall, for trial of offences punishable under this Ordinance, by notification, designate such numbers of Session Courts as Special Court or special courts for such area or areas as may be specified in the notification.
Public Servant	27.		Every person engaged in the conduct of competitive examination shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860)
Ordinance not to be in derogation of any other law	28.		The provisions of this Ordinance shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.
Power to remove difficulties	29.	(1)	If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, by notification, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as may appear necessary for the removal of the difficulty: Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Ordinance.
		(2)	Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, on the table of the State Legislative Assembly.
Power to make rules	30.	(1)	The State Government may make Rules for carrying out the purposes of the Ordinance.
		(2)	Every Rules made under this section shall, as soon as may be after they are so made, be laid before the State Legislative Assembly while it is in session.

- | | | |
|---|-----|--|
| Power to issue directions or orders | 31. | The State Government may from time-to-time issue directions or order in writing for giving effect to the provisions of this Ordinance. |
| Power to amend Schedule | 32. | The State Government may by notification include or exclude in the schedule 1 and 2 such authority and examination in respect of which it considers necessary to apply the provisions of this Ordinance and after the publication of such notification in the Gazzette the schedule 1 and 2 shall be deemed to be amended accordingly. |
| Protection of action taken in good faith | 33. | No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance or the rules made thereunder. |

Schedule 1**(Sec section 2, (b))**

- (1) Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission.
- (2) Uttarakhand Public Service Commission.
- (3) Uttarakhand Medical Selection Board.
- (4) Any other Institutions authorized by the state government to conduct competitive examinations from time to time.

Schedule 2

(See section 2, (d))

- (1) All competitive examinations to be conducted by the Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission, Uttarakhand Public Service Commission, Uttarakhand Medical Selection Board and any other Institutions authorized by the State Government to conduct competitive examinations from time to time.

LT. GEN. GURMIT SINGH
PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd.)
GOVERNOR, UTTARAKHAND

By Order,

MAHESH CHANDRA KAUSHIWA,
Incharge Additional Secretary.